

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

सीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
स्व वाद संख्या :- 159/2024

1. कुलदीपसिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादी

बनाम

1. इकबालसिंह पुत्र ग्यानसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुखप्रीत सिंह पुत्र इकबालसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. संदीप कौर पुत्री इकबालसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 12.08.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनेलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क). वादी कुलदीपसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 4 एम.एस.टी. के पत्थर नम्बर 193/336 (24) किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8

(ख). प्रतिवादी संख्या 2 सुखप्रीत सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 4 एम.एस.टी. के पत्थर नम्बर 193/336(24) किला नम्बर 1/2/0.227, 2, 9, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12

उपरोक्त अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 4 एम.एस.टी. के खाता संख्या 3/7 में से प्रतिवादी संख्या 1 इकबाल सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया

जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की क्रिसम (सथा नदरी/बादनी/सलमुनाहिन)
 पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जायगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना बहन करेगा। यह डिप्री आज दिनांक 12-12-1999 को
 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
 जज अतिरिक्त
 जिला न्यायालय
 दिल्ली

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
त पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
पों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
पे पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
प्यों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
इनर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
शिका की तामिल	---		---
	---	योग	---